

# फर्द अहकाम




(बिबर 26)

ग्राम आंतरवैज्ञ

तहसीलदार हुकम 21801

खेतदार बंजाम चौध्या पुत्र गोरधम मीना

खेत नुम्बर चारा 91.2 R A 4 नं 282/18 डेडा गलाज सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/11/18	<p>पहवारी हुकम की रिपोर्ट दुरु कर अतिक्रमी को राजस्थान अ-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 14/11/18 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">             तहसीलदार            तहसील-महवा (दौसा)         </p>	
14/11/18	<p>अज्ञ पत्रावली पेश ही अहकाम व अपील का पत्र है। अतिक्रमी/गैरसाथल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया। अहकाम आंतरवैज्ञ की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से वेदावल किया जाता है। विस्तृत विवरण पुश्तक से लिया जाकर संलग्न पत्रावली है।</p> <p style="text-align: center;">             तहसीलदार            तहसील-महवा (दौसा)         </p>	<p style="text-align: center;">             नि चौध्या         </p>

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

निवेदन नम्बर 282/18 तारीख रज 30/0/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का पावली बनाम  
श्री धोटा पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी आतरदेश तहसील

महेश

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 14/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री धोटा ने ग्राम आतरदेश को भूमि ख.न. 163 रकबा 0.10 किस्म चाशपाह फसल रबि / खरीफ संवत 2074 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 163 रकबा 0.10 किस्म चाशपाह वाके ग्राम आतरदेश से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 1.90 या 50 गुणा 95रु शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
तहसील-महवा (दौसा)  
तहसीलदार महवा

रजिस्टर माफ हो के 71 पर  
वर्ष 2018-18 की तहसील  
की जमा 95रु  
दिनांक 6/3/18 तहसील-महवा